संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें

छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा- रायपुर

ब्लाक-3, भूतल, इन्द्रवती भवन फोन नं. 0771-2331391, फैक्स नं. 0771-2331392, ईमेल dirvet.cg@gov.in

क्रमांक...7377/रो.अं./ग्लैंडर्स/2019-20/अटल नगर, नवा-रायपुर/ दिनांक...21/8/2019

प्रति,

1. संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
ब्लाक -डी, चौथी मंजिल, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर, छत्तीसगढ.
2. संचालक,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
ब्लाक -बी, द्वितीय मंजिल, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर, छत्तीसगढ.

विषय- **छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव एवं दुर्ग में अश्व प्रजाति में ग्लैंडर्स बीमारी की पुष्टि उपरांत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।**

सन्दर्भ- **1. संचालक ICAR-राष्ट्रीय अश्व रोग अनुसन्धान केंद्र के पत्र क्र. F. No. PA/Dir/Glanders दिनांक 11.06.19 एवं 23.07.19।**
2. डॉ. मणिलाल वालियाते, CEO, PETA इंडिया का पत्र दिनांक 02.08.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र.1 के तारतम्य में लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव के 3 अश्वों एवं जिला दुर्ग के 1 अश्व में ग्लैंडर्स बीमारी की पुष्टि की गई है। विदित है कि ग्लैंडर्स बीमारी पशुजन्य (Zoonotic) होने के कारण अश्व प्रजाति से मनुष्यों में फैलने की सम्भावना रहती है। जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी (छायाप्रति संलग्न) कर दुर्ग नगर निगम क्षेत्र एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया गया है, परिणाम स्वरुप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के दुर्ग एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।

"पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009" के प्रावधानों के तहत संक्रमित अश्वों का विनष्टीकरण करने के पश्चात् नियंत्रित क्षेत्र के 5 कि.मी. दायरे अंतर्गत आने वाले समस्त अश्व प्रजाति के पशुओं, नियंत्रित क्षेत्र से 5 से 25 कि.मी. दायरे अंतर्गत आने वाले 25 प्रतिशत अश्व प्रजाति के पशुओं एवं नियंत्रित क्षेत्र से 25 कि.मी. के पश्चात् राज्य के समस्त 27 जिलों से के सीरम (खून) जाँच किया जाना है, तत्सम्बंध में समस्त जिलों विभागीय जिला अधिकारिओं को निर्देश जारी किये गए हैं।

तारतम्य में "पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009" के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

C.L.W. 21/8
संचालक
पशु चिकित्सा सेवाएं
छत्तीसगढ़, नवा-रायपुर

क्रमांक...7378/रो.अं./ग्लैंडर्स/2019-20/अटल नगर, नवा-रायपुर/ दिनांक...21/8/2019

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, कृषि (पशुधन विकास विभाग), छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
4. डॉ. मणिलाल वालियाते, CEO, PETA इंडिया।
5. उपसंचालक, राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पंडरी, रायपुर/ राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, पंडरी, रायपुर/ माता महामारी उन्मूलन योजना, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संयुक्त/उप संचालक, जिला- ..... (समस्त), राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, पंडरी, रायपुर/ माता महामारी उन्मूलन योजना, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C.L.W.
संचालक
पशु चिकित्सा सेवाएं
छत्तीसगढ़, नवा-रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक : एफ 8–53/35/2019/577 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.06.2019.

अधिसूचना

क. एफ 8–53/35 – "पशुओं में संकामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27)" की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों के तहत जिला–दुर्ग एवं राजनांदगांव में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के दुर्ग नगर निगम क्षेत्र एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित करती है, परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के दुर्ग एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वाय. पी. दुपारे)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें
आवक क्र. 1190
दिनांक 27/6/2019
रायपुर, छत्तीसगढ़

संचालक पशु चिकित्सा सेवायें
दिनांक 24/06/19
स्थापना/सू.का अधिकार/वि. जाँच / D.L. Lab
टीप
हस्ताक्षर

PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai 400 049
(22) 4072 7382
(22) 2636 7383 (fax)

Info@petaindia.org
PETAIndia.com

तत्काल एवं महत्वपूर्ण

पशु चिकित्सा सेवायें रायपुर 1682 19/8/2019

संचालक पशु चिकित्सा सेवायें
दिनांक 02/08/19
विधि प्रकोष्ठ/विधानसभा DI Lab
टीप DDVS / JDVS & M&D
Directorate N.P/G.P Commr N/N & प्रा.
(For serum sampling) हस्ताक्षर

श्री रवीद्र चौबे
कृषि मंत्री
कमरा नंबर M-3-1,
कैपिटल कॉम्प्लेक्स, मंत्रालय,
महानदी भवन
नया रायपुर- 492 002
छत्तीसगढ़

2 अगस्त 2019

छत्तीसगढ़ के घोड़ों में जानलेवा बीमारी "ग्लेंडर" का प्रकोप, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता

माननीय मंत्री महोदय,

मैं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑस एनिमल्स (PETA) इंडिया व हमारे 15 लाख समर्थकों व सदस्यों की ओर से आपको इस पत्र के माध्यम से उपडेट करना चाहता हूँ की हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव में एक घोड़े में जानलेवा जूनोटिक ग्रंथि रोग "ग्लेंडर" प्रकाश में आया है। **(संलग्नक अ)**

चूंकि "ग्लेंडर" बीमारी पशु संक्रामण व संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत आता है इसलिए राज्य सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं की इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आप तत्काल रूप से आदेश जारी कर शादी एवं अन्य समारोह में शामिल होने वाले घोड़ों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएँ।

जैसा की आप जानते हैं कि ग्लेंडर घोड़ों, खच्चरों, व गधों में होने वाली एक संक्रामक व जानलेवा बीमारी है जो *बुर्खोलडेरिया मल्लेई* (*Burkholderia mallei*) नामक बैक्टीरिया से फैलती है यह आमतौर पर ऊपरी श्वसन नलिका में, फेफड़ों में व ऊपरी त्वचा पर पाये जाने वाले अल्सर के विकास फैलती है। **ग्लेंडर घोड़ों से मनुष्यों में भी फ़ेल सकती है व घातक साबित हो सकती है।** मनुष्य, संक्रमित घोड़ों की सांस के संपर्क में आने से इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है जिससे त्वचा, फेफड़े व पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। समय पर सही उपचार न मिलने से दर्दनाक मौत हो जाती है।

केंद्र सरकार के मतस्य, पशु कल्याण एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मई 2016 के "घोड़ों में ग्लेंडर्स की रोकथान एवं नियंत्रण कार्य योजना" को बदलकर जून 2019 में "भारत में ग्लेंडर्स के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" जारी की **(संलग्रक ब)**। नयी जारी की गयी कार्य योजना के अनुसार "संक्रमित घोषित किए गए क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में घोड़ों से संबन्धित मेले, कोई आयोजन, शो या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम (शादी भी) जिसमे असंगठित क्षेत्र के घोड़े भाग लेते हैं के आयोजन की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी"। 2019 की इस निर्देशिका में आगे यह भी कहा गया है यह राज्य पशु चिकित्सा प्राधिकरण की ज़िम्मेदारी होगी की वो राज्य में क्लीनिकल, फिजिकल, पैथोलॉजिकल तथा सीरोलॉजिकल सर्विलान्स सहित ग्लेन्डर सर्विलान्स कार्यक्रम का भी संचालन करें।

Affiliates
· PETA Asia
· PETA Australia
· PETA Foundation (UK)
· PETA France
· PETA Germany
· PETA Netherlands
· PETA US

Registered Office:
F-110, 1st Floor, Jagdamba Tower
Plot No 13, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi
110 092

CIN. U74899DL2000NPL103217

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा मतस्य, पशु कल्याण एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 26 मई 2017 को समस्त राज्यों के प्रमुख सचिवों को जारी किए गए पत्र में साफ साफ लिखा है ज़ूनोटिक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और राज्य में मानव और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ज़ूनोटिक रोगों से निपटने के लिए कई उपायों को सूचीबद्ध करने की भी सख्त आवश्यकता है।

हालांकि, हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रकाश में आया "ग्लेंडर" का यह केस 2016 की कार्ययोजना, 2017 के पत्र में सूचीबद्ध उपायों, और जानवरों की रोकथाम अधिनियम और संक्रामक और संक्रामक रोगों के नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के खराब व असरहीन क्रियान्वयन को दर्शाता है। यह मामला यह साबित करता है कि शादियों और अन्य समारोहों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों में संक्रामक रोगों की नियमित निगरानी आवश्यक है अन्यथा, घोड़ों और जनता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
इन परिस्थितियों में, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके छत्तीसगढ़ में घोड़ों और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाएं?

1. छत्तीसगढ़ में शादियों और अन्य समारोहों के दौरान घोड़ों के उपयोग पर रोक लगाने हेतु तत्काल आदेश जारी करें।
2. पूरे छत्तीसगढ़ में शादियों और समारोहों के लिए घोड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं और एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से घोड़ों का शोषण किए बिना शादी करने की योजना बनाने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करें।
3. पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक को तुरंत पशु अधिनियम, 2009 में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के प्रावधानों को लागू करने और छत्तीसगढ़ में सभी समान आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसका मतलब सड़कों और बाजारों में काम करने वाले जानवरों और शादियों और अन्य समारोहों के लिए घोड़ों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की मदद से सभी घोड़ों में ग्लेंडर्स के लक्षणों की जांच होनी चाहिए।
4. सभी नगर निगमों को को निर्देश जारी करें की वो अपने-अपने न्यायायिक क्षेत्रों में घोड़े, गधे और खच्चरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएँ।
5. छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को सलाह दें कि वे छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाली घोड़ागाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए यातायात पुलिस को निर्देश दें।

आपके बहुमूल्य समय और इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपकी सुविधानुसार आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर आपकी प्रतिकृया का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे +91 9910817382 पर या फिर मेरी ईमेल आई डी ManilalV@petaindia.org. ई मेल से भी संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

डॉ. मणिलाल वालियाते,
CEO
PETA इंडिया